

जिला कलक्टर नागौर
स्थगन प्रार्थना पत्र सं-04/22

शुशीला देवी पंडित बिदानी देवी वर्मा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
21-4-22	<p>वकील प्रार्थी उपरो हस्तगत हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल मुत्तकिल प्रार्थना पत्र प्रकरण में अग्रणी सं. बिदानी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार दास तथा अग्रणी सं. 2 की ओर से वकील श्री अब्दुल वैय्याव द्वारा अठारह दिनांक लेकर नफालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो दिनांक 12.1.22 को सिविल जज के नोटिस दिनांक 12.1.22 को सिविल जज के नोटिस दिनांक 30 दिन पूर्ण हो चुके हैं व वकील पत्रावली अग्रणी सं. 3 को तीन बार रोक-रोक कर आवाजे लगाई परन्तु वह स्वयं अथवा रजम फौरी प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अग्रणी सं. 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अग्रणी सं. 5 से 6 के नोटिस वकील प्रार्थी शीघ्र पेश करे, जो पेश होने पर तब ही जारी होकर पत्रावली दिनांक 11-5-22 को पेश हो।</p>	
11-5-22	<p>वकुलाय उपरो शीघ्र पत्र P-0 लाहव प्रस्ताविक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 8-6-22 को पेश हो।</p>	
8/6/22	<p>वकुलाय उपरो शीघ्र पत्र P-0 लाहव अवकाश पत्र है। पत्रावली दिनांक 30/6/22 को पेश हो।</p>	
20/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल मुत्तकिल प्रार्थना पत्र फौसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

कलक्टर, नागौर

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

